कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली
पुराना सेंट स्टीफन कॉलेज भवन
कश्मीरी गेट दिल्ली–110006.

File. No.84/CEO/SVEEP/D.L.A.Q./2021/ 27479-481 Dated: 30/12/21

सेवा में

उपसचिव (प्रश्न शाखा)
दिल्ली विधान सभा सचिवालय
पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054.
ई–मेलः -questionbranchlas@gmail.com

विषयः–दिनांक 04.01.2022 को सदन की बैठक हेतु अतारांकित प्रश्न संख्या 186 श्री मोहन सिंह बिष्ट द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर।

महोदय,

आपके कार्यालय पत्र संख्या एफ.11(बी–1) VI/2020–25/वि.स.स./प्रश्न शा./273 दिनांकः–25.12.2021 के सन्दर्भ में इस कार्यालय से सम्बन्धित उपरोक्त अतारांकित प्रश्न संख्या 186 के उत्तर की 100 प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न हैं। इस पत्र के साथ उत्तर व उसके संलग्न की सॉफ्ट कॉपी PDF फार्म में भेजी जा रही है।

भवदीय,

संलग्नकः– उपरोक्त

30/12/2022
(ललित मित्तल)
चुनाव अधिकारी (स्वीप)

प्रतिलिपि प्रेषित :–

1. सचिव, माननीय मंत्री, खाद्य और नागरिक आपूर्ति एवं चुनाव, दिल्ली सरकार, ए–विंग, 8वीं मंजिल, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली–110002.
2. पी0 एस0 मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली/पी0 ए0 उप–मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली के लिए।

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली
पुराना सेंट स्टीफन कॉलेज भवन
कश्मीरी गेट दिल्ली–110006

अतारांकित प्रश्न संख्याः–186
दिनांकः– 04.01.2022
प्रश्नकर्ता का नामः– श्री मोहन सिंह बिष्ट

क्या माननीय चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

प्रश्न	उत्तर
(क) क्या यह सत्य है कि करावल नगर विधान सभा क्षेत्र के अधिकतर क्षेत्र उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं;	करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के कुछ पोलिंग स्टेशन उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए है।
(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि करावल नगर के अंतर्गत आने वाले गांव बदरपुर खादर, चौहान पट्टी, सभापुर गांव, मिलन गार्डन, सोनिया विहार, शहीद भगत सिंह कॉलोनी, प्रकाश विहार, अंकुर इन्क्लेव और कमल विहार में अधिकतर वोट उत्तर प्रदेश में रहने वालों के बने हैं;	सभी मतदाता पहचान पत्र भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित दस्तावेज के आधार पर बनाए जाते हैं।
(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली में सरकारी सुविधाओं के लिए चुनाव के समय में अधिकतर वोट दिल्ली में डाले जाते हैं; और	संज्ञान मे नहीं है।
(घ) यदि हां, तो बॉर्डर का फायदा उठाकर दिल्ली के जो वोट बनाये गए हैं इनको कब तक चिन्हित् कर वोटर लिस्ट से उनका नाम काटा जाएगा?	ऐसा कोई मामला संज्ञान मे आने पर कार्यालय द्वारा उचित कार्यवाही की जाती है।

यह उत्तर माननीय मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और चुनाव द्वारा अनुमोदित किया गया है।

भवदीय,
30/12/2022
(ललित मित्तल)
चुनाव अधिकारी (स्वीप)